



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक-20.12.2025

थाना दोघट पुलिस व स्वाट बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 196/25 धारा 191(2)/115(2)/351(2)/103(1)/61(2)/238(a)/127(2) बीएनएस व 3(2)(v)(a) एससी एसटी एक्ट में वाँछित 25 हजार के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.07.2025 को थाना दोघट पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्तों 1.साहिब पुत्र बलीस, 2.आरिस पुत्र मतलूब, 3.मतलूब, 4.बलीस, 5.सादिक पुत्रगण शईद निवासीगण ग्राम पलडा थाना दोघट जनपद बागपत, 6.अरमान पुत्र सानमौहम्मद, 7.सानमौहम्मद



पुत्र युसुफ निवासीगण ग्राम सुन्ना थाना कांधला जनपद शामली, 8.नसीम पुत्र युनुस निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत व तीन अज्ञात द्वारा सागर पुत्र रामपाल निवासी ग्राम पलडा थाना दोघट के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी तथा योजना के तहत अभियुक्त बलीस की पुत्री के मुँह पर कपड़ा रखकर मुँह दबाया व गला घोट कर हत्या कर दी तथा मृतका के शव को कब्रिस्तान में दफना दिया गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 196/2025 धारा 191(2)/115(2)/351(2)/103(1)/61(2)/238 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

नोट- उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 127(2) बीएनएस व 3(2)(v)(a) एससी एसटी एक्ट की वृद्धि की गयी तथा पूर्व में 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

अभियुक्त आरिस पुत्र मतलूब निवासी ग्राम पलड़ा थाना दोघट जनपद बागपत हाल पता ग्राम पसौण्डा थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद की गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस व स्वाट बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0आ0सं0 196/25 धारा 191(2)/115(2)/351(2)/103(1)/61(2)/238(a)/127(2) बीएनएस व 3(2)(v)(a) एससी एसटी एक्ट में वांछित 25 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

आरिस पुत्र मतलूब निवासी ग्राम पलड़ा थाना दोघट जनपद बागपत हाल पता ग्राम पसौण्डा थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थानाध्यक्ष श्री सूर्यदीप सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 रजत ढाका थाना दोघट जनपद बागपत।
- 3-है0का0 681 दीपक कुमार स्वाट जनपद बागपत।
- 4-का0 951 पिताम्बर कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 20.12.2025

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0आ0सं0 296/25 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक महिन्द्रा ट्रैक्टर व बेचे गये गन्नों से प्राप्त रूपयों में से शेष 1100 रुपये नगद बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.12.2025 को थाना छपरौली पर वादी महेश पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि उसकी गन्ने से भरी ट्रॉली को उसके घेर से किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0आ0सं0 296/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0आ0सं0 296/25 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक महिन्द्रा ट्रैक्टर व बेचे गये गन्नों से प्राप्त रूपयों में से शेष 1100 रुपये नगद बरामद हुए हैं एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जोनी पुत्र तेजपाल उर्फ तेजू निवासी ग्राम बडौली थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक महिन्द्रा ट्रैक्टर ।
- बेचे गये गन्नों से प्राप्त रुपयों में से शेष 1100 रुपये नगद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री गवेन्द्रपाल सिंह थाना छपरौली ।

2-उ0नि0 श्री सनव्वर अली थाना छपरौली ।

3-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना छपरौली ।

4-का0 511 धर्मेन्द्र सिंह थाना छपरौली ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 20.12.2025

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते समय 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 01 सट्टा पर्चा, 01 गत्ता, 01 पैन व 540 रुपये नगद बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थानों पर जुआ/सट्टा खेलने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते समय 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से 01 सट्टा पर्चा, 01 पैन, 01 गत्ता व 540 रुपये नगद बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. रामकुमार पुत्र साधुराम निवासी काशीराम कालौनी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।
2. सौरभ पुत्र रामभजन निवासी काशीराम कालौनी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 540 रूपये नगद।
- 01 सह्वा पर्चा
- 01 गत्ता
- 01 पैन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० आदित्य कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-उ०नि० हिमांशु सागर थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-है०कार 633 रस्तम कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4-का० 647 प्रवीण कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

